दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

सीबीआरओ, दिल्ली, चतुर्थ तल, जीवन विहार बिल्डिंग (पृष्ठ भाग) पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 23341745, 23361521, 23363987

कार्यालय परिसर पट्टे पर लेने संबंधी

कार्यालय के लिए पट्टे पर परिसर प्राप्त करने के लिए दोहरी बोली पद्धति में मुहरबंद निविदाओं को आमंत्रित किया जाता है जिनमें निर्दिष्ट क्षेत्रों में हॉल/होलों के आकार में **सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन या एम जी रोड मेट्रो स्टेशन गुड़गांव, (हरियाणा) से एक किलोमीटर के क्षेत्र के भीतर** विनिर्दिष्ट स्थान पर लगभग **3200 वर्गफीट** का कारपेट क्षेत्र (बाथरूम, शौचालय, बरामदा, इत्यादि को छोड़कर) हो, पट्टे की अवधि 9 वर्ष, उसी अवधि के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन खर्चे को 50:50 आधार पर वहन किया जाएगा। वित्तीय बोली के साथ-साथ तकनीकी बोली को कारपेट क्षेत्र के आधार पर चयनित किया जाएगा। परिसर विशेष रूप से लिफ्ट, पॉवर बैक-अप, महिलाओं व पुरूषों के लिए शौचालयों की पर्याप्त संख्या, समुचित वातायन की सुविधा व प्रवेश की अच्छी पहुँच के साथ चौड़ी सड़क पर स्थित होना चाहिए।

इच्छुक पार्टियां दो अलग- अलग लिफाफों में जिन पर स्पष्ट रूप से 'तकनीकी बोली' तथा 'वित्तीय बोली' लिखा हो, एक तीसरे लिफाफे में जिस पर 'कार्यालय परिसर लीज पर लेने के लिए प्रस्ताव' लिखा हो, में रखकर भेजी जानी चाहिए। उपरोक्त वर्णित निविदाएं मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि., सीबीआरओ के उपरोक्त पते पर **दिनांक 15.12.2015 को 5.30 बजे** तक पहुंच जाना चाहिए। 'तकनीकी बोली' **दिनांक 18.12.2015 को 4.00 बजे** खोला जाएगा।

निविदा दस्तावेज **दिनांक 14.12.2015 तक** कार्यालय कार्यकाल के दौरान उपरोक्त संदर्भित सीबीआरओ से या इसे हमारी कंपनी की वैबसाइट **www-orientalinsurance-org-in (Tenders)** से लिया या डाउनलोड किया जा सकता है। सीलबंद बोलियां निविदाकर्ता या उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा अंतिम तिथि और समय से पूर्व निविदा के लिए बनाए बॉक्स में डाल दी जानी चाहिए। रास्तें में खो गई बोलियों या किसी भी कारण से देरी से प्राप्त बोलियों के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। कंपनी द्वारा ब्रोकरों को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा तथा उनके प्रस्ताव के साथ इस आशय का पत्र संलग्न होना चाहिए कि उन्हें अपने स्वामी की ओर से मूल्य देने के लिए अधिकृत किया गया है। कंपनी के पास किसी भी या सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक